



2026:AHC:124900

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 19177 वर्ष 2026

श्रीमती फरजाना

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : भुवनेश कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवनेश कुमार सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित कुमार की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 222/2025, धारा 115(2) और 105 बीएनएस, पुलिस स्टेशन अफजलगढ़, जिला बिजनौर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि स्वतंत्र गवाह इदरीश अहमद ने कहा कि आवेदक और मृतक के बीच हाथापाई हुई और मृतक ईंटों के ढेर पर जमीन पर गिर गया। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर तीन चोटें थीं और उसकी मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले लगी चोट के कारण रक्तसावी आघात पाया गया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस के तहत कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि मृतक की मृत्यु का कारण बनने का उसका कोई इरादा या जानकारी नहीं थी। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 12.8.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने मृतक को पीटा और उस पर हमला भी किया।

5. एफआईआर के अनुसार, आवेदक और अन्य आरोपियों ने मृतक रफीक अहमद की पिटाई और मारपीट की, हालांकि, एक स्वतंत्र गवाह ने बताया है कि हाथापाई के दौरान मृतक जमीन पर गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे कई चोटें आईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को तीन चोटें आई थीं और उसकी मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले लगी चोट के कारण रक्तसावी आघात बताया गया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **श्रीमती फरजाना** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 4 ऑफ 2021 दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

3 जून, 2026

मधुरिमा

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।